

संयोजक,
सरकार के सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-3/निदे० पी०ओ०ए०(स्था० एवं प्र०) 01-07/2021-46

(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नियम-1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के आलोक में अनु० जनजाति के व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान हेतु कुल ₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति।
पटना, दिनांक - 18/05/2026

आदेश:- स्वीकृति।
2. कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं०-44 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0001-छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ-विषय शीर्ष-0001.33.02-मुआवजा-विपत्र कोड सं०-44-2225022770001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस स्वीकृति राशि से आवंटन जिलों को निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त किया जायेगा।
4. इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

5. इस राशि से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु० जाति के पीड़ित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और प्रावधान-1(नियम-12(4)) में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-12(4)(46) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को पूर्वोक्त मदों के अधीन संवत् अनुसूचित जाति के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति माह की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम/नियम के तहत (i) पीड़ित/पीड़िता को वैधिक सहायता, (ii) पीड़ित/पीड़िता को यात्रा भत्ता, (iii) पीड़ित/पीड़िता को दैनिक भत्ता, (iv) पीड़ित/पीड़िता को राहत और पुनर्वास के लिए राशि की स्वीकृति दी जा सकेगी।

6. इस राशि से विभागीय संकल्प संख्या-1825 दिनांक-19.09.2020 द्वारा अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-15(1) के तहत निर्गत योजना के आलोक में व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

7. अत्याचार राहत अनुदान की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3808 दिनांक-02 जून, 2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (Aadhaar Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 के तहत लाभुकों के बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ कर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

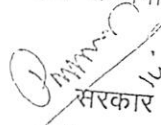
8. राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और मौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजी जाएगी। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध कराएंगे।

9. इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2681 दिनांक-17.4.98, वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-3748 दिनांक-05.04.2010 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

10. इस स्वीकृति के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संख्या-31-03-2027 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

11. इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-3/निदे० पी०ओ०ए० (स्था० एवं प्र०) 01-07/2021-46 के पृ०-2/टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक 18/05/2021

ज्ञापांक-3/निदे0 पी0ओ0ए0 (स्था0 एवं प्र0) 01-07/2021- 46

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, गृह (विशेष) विभाग/अपर पुलिस महानिदेशक (क0व0)
अपराध अनुसंधान विभाग बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0
जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याभ
प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।
पटना, दिनांक 18/05/2021

ज्ञापांक-3/निदे0 पी0ओ0ए0 (स्था0 एवं प्र0) 01-07/2021- 46

प्रतिलिपि: सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याभ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

सरकार के सचिव।

महालंछाकार, विहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना ।

पटना, दिनांक - 18/05/2026.

निर्माण-वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नियम-1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के आशोक में अनु० जाति के व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान हेतु कुल ₹20,00,00,000/- (बीस करोड़) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2. कुल भारित व्यय की राशि -

2. कुल भारत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं0-44 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0011-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ-विषय शीर्ष-0011.33.02-मुआवजा-विपत्र कोड सं0-44-2225012770011 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस स्वीकृत राशि से आवंटन जिलों को निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त किया जायेगा।

4. इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित निदेशों के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यय की निगरानी करी जायेगी।

4. इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की माई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

अधिनियम-1989 एवं (संशोधन) नियम-2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम--2017, अधिनियमों के तहत अनु० जाति के पीड़ित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और अधिनियम-1(नियम-12(4)) में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-12(4)(46) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, शारीरिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को पूर्वोक्त मदों के अधीन संज्ञा प्राप्त की शर्त के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम/नियम के तहत (i) पीड़ित/पीड़िता को वैधिक सहायता, (ii) पीड़ित/पीड़िता को यात्रा भत्ता, (iii) पीड़ित/पीड़िता को दैनिक भत्ता, (iv) पीड़ित/पीड़िता को राहत और पुनर्वास के लिए आवश्यक निधि दी जा सकेगी।

6. इस राशि से विभागीय संकल्प संख्या-1825 दिनांक 15.05.2016 के तहत (अध्यादेश निवारण) निर्माण कार्य पर लागू कर का उपयोग किया जा सकेगा।

6. इस राशि से विभागीय संकल्प संख्या-1825 दिनांक-19.09.2020 द्वारा अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-15(1) के तहत निर्गत योजना के आलोक में लाभ की स्वीकृति दी जा सकेगी।

7. अत्याचार राहत अनुदान की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3808 दिनांक-02 जून, 2017 के तहत निर्गत योजना के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (Aadhaar Targeted Delivery of Financial and other Susidies, Benefits and Services) Act, 2016 के तहत लाभुकों के बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ कर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

8. राशि की रबीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक राशि के संबंध में उपलब्ध करायेगे।

9. इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-3661 दिनांक-17.4.98, वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-3748 दिनांक-05.04.2010 तथा समय समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निर्देशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के निर्यत्री

10. इस स्वीकृति के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31-03-2027 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

11. इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-3/निदे० पी०ओ०ए० (स्था० एवं ०१-०७/२०२१-के पृ०- /टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Me. 06.10
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/निदे0 पी0ओ0ए0 (स्था0 एवं प्र0) 01-07/2021-

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/अपर पुलिस महानिदेशक (क0ब0) अपर अनुसंधान विभाग बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यों प्रेषित ।

पटना, दिनांक 18/05/2021

सरकार के सचिव ।

पटना, दिनांक 18/05/2021

ज्ञापांक-3/निदे0 पी0ओ0ए0 (स्था0 एवं प्र0) 01-07/2021-

प्रतिलिपि: सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

लेपक,
निदेशक।

समाप्त,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक:- 19/05/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के आलोक में अत्याचार से राहत अनुदान हेतु अनु० जाति के लिए कुल ₹2,30,00,000/- (छ: करोड़ साठ लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृति सं०-45 दिनांक-18.05.2026 द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नियम-1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के आलोक में अत्याचार राहत अनुदान हेतु अनु० जाति के लिए ₹20,00,00,000/- (बीस करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति में से ₹6,60,00,000/- (छ: करोड़ साठ लाख रु०) मात्र की राशि को संलग्न विवरणी के अनुसार जिलों को आवंटित की जाती है।

2. कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं०-44 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु० जाति के लिए मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0011-छात्रवृत्तियां और वृत्तियां-विषय शीर्ष-0011.33.02-मुआवजा-विपत्र कोड सं०-44-2225012770011 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो जिले की राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

4- इस राशि से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के प्रावधानों और नियमों के तहत अनु० जाति के पीड़ित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध-1(नियम-12(4)) में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-12(4)(46) में उल्लिखित रूप से हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को पूर्वोक्त भदों के अर्धन सदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की अवधि निधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम/नियम के तहत:- (i) पीड़ित/पीड़िता को वैधिक सहायता, (ii) पीड़ित/पीड़िता को यात्रा भत्ता, (iii) पीड़ित/पीड़िता को दैनिक भत्ता, (iv) पीड़ित/पीड़िता को राहत और पुनर्वास इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

5- इस राशि से विभागीय संकल्प सं०-1825 दिनांक-19.09.2020 द्वारा अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-15(1) के तहत निर्गत योजना के तहत अनु० जाति के व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

6- अत्याचार राहत अनुदान की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3808 दिनांक-02 जून, 2017 के संकल्प में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के तहत Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services Act, 2016 के तहत अनु० जाति के बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ कर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

7- राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई राशि की सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक भेजी जायेगी साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को भी भेजी जायेगी।

8- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98, वित्त विभाग के परिपत्र सं०-3748 दिनांक-05.04.2010 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

9- निकासी एवं व्यय पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-03-2027 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।
विश्वासभाजन,

निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे०-पी०ओ०ए०(स्था० एवं प्र०)०१-०७/२०२१- 54 पटना, दिनांक:- 19/05/2026
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार/ वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग/अपर पुलिस महानिदेशक (क०व०) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार/ संबंधित उप विकास आयुक्त/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे०-पी०ओ०ए०(स्था० एवं प्र०)०१-०७/२०२१- 54 पटना, दिनांक 19/05/2026
प्रतिलिपि : संबंधित कोषांगार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक।

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन हेतु आवंटित राशि की विवरणी:-

क्र०सं०	जिला का नाम	राशि लाख में
1	2	3
1	ARARIA	
2	ARWAL	10,00,000
3	AURANGABAD	5,00,000
4	BANKA	20,00,000
5	BEGUSARAI	10,00,000
6	BHAGALPUR	5,00,000
7	BHOJPUR	10,00,000
8	BUXAR	20,00,000
9	DARBHANGA	15,00,000
10	GAYA	15,00,000
11	GOPALGANJ	59,00,000
12	JAMUI	20,00,000
13	JEHANABAD	10,00,000
14	KAIMUR	9,00,000
15	KATIHAR	20,00,000
16	KHAGARIA	7,00,000
17	KISHANGANJ	10,00,000
18	LAKHISARAI	11,00,000
19	MADHEPURA	10,00,000
20	MADHUBANI	15,00,000
21	MUNGER	20,00,000
22	MUZAFFARPUR	10,00,000
23	NALANDA	15,00,000
24	NAWADA	20,00,000
25	PASHCHIM CHAMPARAN	15,00,000
26	PATNA	10,00,000
27	PURBI CHAMPARAN	45,00,000
28	PURNIA	30,00,000
29	ROHTAS	50,00,000
30	SAHARSA	20,00,000
31	SAMASTIPUR	20,00,000
32	SARAN	25,00,000
33	SHEIKHPURA	30,00,000
34	SHEOHAR	10,00,000
35	SITAMARHI	6,00,000
36	SIWAN	8,00,000
37	SUPAUL	20,00,000
38	VAISHALI	10,00,000
	कुल	15,00,000
		6,60,00,000

सं० 3/निदे० पी०ओ०ए०(स्था० एवं प्र०)०१-०७/२०२१- ५५ दिनांक- 15/05/2026


निदेशक।